

रीडर
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

22-9-23 पत्रावली पेश हुई, अभिमापकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थान / बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 13¹⁰/₂₃ को पेश हो।

13-10-23 पत्रावली पेश हुई, अभिमापकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थान / बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 13¹⁰/₂₃ को पेश हो।

31-10-23 उभय पक्ष उपस्थित पीतापीठ अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। न्यायिक कार्य स्थान / बहिष्कार है।
अतः पत्रावली दिनांक 19-12-23 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

19-12-23 उभय पक्ष उपस्थित पीतापीठ अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। न्यायिक कार्य स्थान / बहिष्कार है।
अतः पत्रावली दिनांक 9-1-24 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

9-1-24 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, विपक्षी संख्या
6 व 9 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जा चुके हैं।
वकील विपक्षी सं. 6, 9 का जवाब खेद दिया जाता है।
उभयपक्षों ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गयी।
वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर
निर्णय सूचक से लिया जाकर शामिल पत्रावली दिया
गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर अगले से हमें

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भोतवाड़ा

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 122/22 प्रा०पत्र

1- श्री रामलाल शं० श्री मांगी लाल अचारत गिवासी-वागोर तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री अरविन्द शं० श्री सुरेन्द्रचन्द्र अचारत गिवासी-वागोर तहसील-माण्डल (तगौर)
(संबंधित प्रा०पत्र संख्या)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 09-01-24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वागोर पटवार हल्का वागोर II तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 5186, 5188 कुल किता 02 रकबा 0.3541 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.06.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत वी होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। जैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र रवीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का रवीकार किया जाकर ग्राम वागोर पटवार हल्का वागोर II तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 5186, 5188 कुल किता 02 रकबा 0.3541 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक वागोर को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् वी मौजूदगी में मौके व कब्जे की चर्चास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जायें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जायें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा